दिनांक–20.04.2026 को अपर सचिव, पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग के द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा बैठक की कार्यवाही :–

1. बैठक में निम्नलिखित पदाधिकारी शामिल हुए :–
   (1) मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन
   (2) श्री ललित राही, विशेष कार्य पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग
   (3) सभी उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद
   (4) सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी
   (5) कार्यपालक पदाधिकारी, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन

2. अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। जो DDC या DPRO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

   **(अनुपालनः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)**

3. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा निर्माण कराये जा रहे पंचायत सरकार भवन के प्रगति की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

   I. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा निर्माण कराये जा रहे कुल 2000 पंचायत सरकार भवनो के विरूद्ध 191 पंचायतो में भूमि विवाद/अनुपयुक्त पाये जाने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

   LAEO द्वारा प्रतिवेदित समस्याग्रस्त भूमि की जिलावार स्थिति निम्नवत् हैः–

   **(1) अररियाः–** कुल 02 पंचायतो में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से नरपतगंज प्रखंड के पलासी पंचायत में समस्या का निराकरण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जोकीहाट प्रखंड के सिमरिया पंचायत में चिन्हित भूमि पर स्थानीय न्यायालय में Title Suit दायर है। निदेश दिया गया कि सिमरिया पंचायत में यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए।

   **(2) अरवल–** कुल 02 पंचायतो में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से अरवल प्रखंड के वासिलपुर पंचायत नगर पंचायत में शामिल हो गया है। भदासी पंचायत में चयनित भूमि को LAEO के द्वारा Reject कर दिया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि LAEO के साथ समन्वय स्थापित कर भदासी पंचायत में भूमि चयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

कृ0पृ0उ0.....

**(3) औरंगाबाद**– कुल 03 पंचायतो में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से हसपुरा प्रखंड के सोनहथू पंचायत एवं गोह प्रखंड के देवहरा पंचायत में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Stay Order पारित है। दाउदनगर प्रखंड के तरार पंचायत में ADM के स्तर पर जमाबंदी रद्दीकरण का मामला लंबित है। DPRO को निदेशित किया गया कि उक्त पंचायतों में समस्या का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

**(4) बेगूसराय**–कुल 05 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 04 पंचायतों में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि उक्त 04 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ करें।

**(5) भागलपुर**–कुल 09 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 03 पंचायतों में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। 05 पंचायतों मे चिन्हित भूमि पर स्थानीय न्यायालय में Title Suit दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में वाद दायर है, वहाँ यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(6) बक्सर**–कुल 03 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है। इन्दौर पंचायत में चिन्हित भूमि अतिक्रमित है। लाखन डिहरा पंचायत में चिन्हित स्थल में High Transmission Wire लगा हुआ है। उतरी नैनीजोर पंचायत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। निदेश दिया गया कि उक्त पंचायतों में यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

**(7) दरभंगा**–कुल 12 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 03 पंचायतों में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। 05 पंचायतों में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में वाद दायर है, वहाँ यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(8) गया जी**–कुल 06 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि जिस पंचायत में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(9) गोपालगंज**–कुल 05 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि



लगातार.....

जिस पंचायत में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(10) जमुई**—कुल 06 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। 03 पंचायत में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में वाद दायर है, वहाँ यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(11) कैमुर**—कुल 06 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है। 02 पंचायत में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में वाद दायर है, वहाँ यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए

**(12) कटिहार**—कुल 06 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 02 पंचायतों में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि जिस पंचायत में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(13) खगड़िया**—कुल 05 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। 02 पंचायत में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में वाद दायर है, वहाँ यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(14) किशनगंज**—DPRO के द्वारा बताया गया कि पोठिया प्रखंड के सारोगौड़ा पंचायत में चिन्हित भूमि विवादित है। निदेश दिया गया कि उक्त पंचायत में यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

**(15) लखीसराय**—कुल 05 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

**(16) मधेपुरा**—कुल 04 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। 03 पंचायत में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में वाद दायर है, वहाँ यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए।

**(17) मधुबनी**—कुल 06 पंचायत में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में वाद दायर है, वहाँ यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए।

**लगातार.....**

**(18) मुंगेर**–कुल 06 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 02 पंचायत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंर्तगत स्थित है। 01 पंचायत में स्थल अतिक्रमित, 01 में स्थल विवादित, 01 में स्थल पर वृक्ष एवं 01 पंचायत में चिन्हित स्थल पर जल–जमाव है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

**(19) मुजफ्फरपुर**– कुल 02 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(20) नालन्दा**–कुल 04 पंचायत में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में वाद दायर है, वहाँ यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए।

**(21) पश्चिम चंपारण**–योगापट्टी प्रखंड के सिसवा मंगलपुर पंचायत में चिन्हित भूमि अतिक्रमित है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

**(22) पटना**–कुल 02 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

**(23) पूर्णिया**–कुल 08 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(24) पूर्वी चंपारण**–कुल 13 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(25) रोहतास**–कुल 03 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। 02 पंचायत में चिन्हित भूमि पर न्यायालय में वाद दायर है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में वाद दायर है, वहाँ यथाशीघ्र वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(26) सहरसा**–कुल 13 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 07 पंचायत बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के अंर्तगत शामिल है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

**(27) समस्तीपुर**–कुल 20 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। 06 पंचायत में चिन्हित भूमि पर जल–जमाव एवं 05 पंचायतों में स्थल पर गड्ढा है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(28) सारण**–कुल 07 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(29) सीतामढ़ी**–कुल 09 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(30) सुपौल**–कुल 03 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 02 पंचायतों में चिन्हित स्थल विवादित है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

**(31) वैशाली**–कुल 17 पंचायतों में चिन्हित स्थल समस्याग्रस्त है, जिसमें से 01 पंचायत में समस्या का निराकरण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि समस्याग्रस्त भूमि का निराकरण हेतु आवश्यक कार्रवाई करें तथा जिन पंचायतों में समस्या का निराकरण हो गया है, वहाँ अविलंब निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए।

**(अनुपालनः–बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग)**

**II.** ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण किये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक तकनीकी सहायक द्वारा तैयार 723 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध मात्र 593 पंचायतों में ही तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो चिन्ताजनक है। निदेश दिया गया कि अप्रैल

लगातार.....

माह के अंत तक तकनीकी स्वीकृति देना सुनिश्चित किया जाए ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ की जा सके। मुख्य अभियंता तकनीकी स्वीकृति में अनावश्यक विलंब के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मी को चिन्हित कर कार्रवाई करें।

निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है, उन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

**(अनुपालनः—बिहार के सभी जिलों के उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग)**

अंत में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28/4/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव
पंचायती राज विभाग

ज्ञापांक :— 2प/पं.स.भ./09-04/2023 /6691/पं०रा० पटना, दिनांक 30/4/2026
प्रतिलिपि :—सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त—सह—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक :— 2प/प.स.भ./09-04/2023 6691/पं०रा० पटना, दिनांक 30/4/2026
प्रतिलिपि :—अभियंता प्रमुख, LAEO, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक :— 2प/प.स.भ./09-04/2023 6691/पं०रा० पटना, दिनांक 30/4/2026
प्रतिलिपिः— प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—02, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

ज्ञापांक :— 2प/प.स.भ./09-04/2023 6691/पं०रा० पटना, दिनांक 30/4/2026
प्रतिलिपिः— आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/4/26
(नजर हुसैन)
अपर सचिव

D:\2026\All Meeting 2026\20.04.2026 PSB.docx